सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **2017/341** दायर दिनाँक **07.12.2017**

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. मोहम्मद हुसैन पुत्र स्व0 अब्दुल करीम 2. अब्दुल सलाम पुत्र स्व0 अब्दुल करीम 3. मो0 सलीम पुत्र स्व0 अब्दुल करीम 4. मो0 रफीक पुत्र स्व0 अब्दुल करीम 5. सबीर अहमद पुत्र अब्दुल करीम समस्त जाति देशवाली निवासीगण डीडवाना तहसील–डीडवाना जिला–नागौर, राजस्थान।	**बनाम्**	1. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान। 2. आसिया बानों पुत्री स्व0 अब्दुल करीम 3. जरीना बानों पुत्री स्व0 अब्दुल करीम 4. मुबीना बानों पुत्री स्व0 अब्दुल करीम 5. माशाअल्लाह बानों पुत्री स्व0 अब्दुल करीम समस्त जाति देशवाली निवासीगण डीडवाना तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी एवं रेकर्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा– 88 R.T.Act. & 136 L.R.Act.

उपस्थित :–

1. श्री अल्ताफ हुसेन, अधिवक्ता, वादीगण।
2. श्री मो0 अली शेरानी, अधिवक्ता, प्रतिवादीग सं0 02 ता 05।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **25.01.2018**

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, वादीगण व प्रतिवादी सं0 02 ता 05 के पिता व पति अब्दुल करीम पुत्र श्री ईस्माईल जाति देशवाली की खातेदारी का खेत खसरा सं0 2864 रकबा 25 बीघा 10 बिस्वा वाके सरहद डीडवाना में स्थित है। उपरोक्त खसरा नम्बर की भूमि में भूल वश वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 02 ता 05 के पिता व पति का नाम अब्दुल करीम की जगह कमरूदीन अंकित कर दिया गया है तथा वादीगण व प्रतिवादीगण के पिता/पति के नाम से जारी सभी पहचान पत्र, राशन कार्ड आदि में नाम अब्दुल करीम पुत्र श्री इस्माईल है तथा उक्त

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

खेत अब्दुल करीम के पिता इस्माईल पुत्र श्यामा देशवाली के नाम रहा। उनके स्वर्गवास के पश्चात अब्दुल करीम पुत्र इस्माईल कौम देशवाली के नाम खातेदारी संवत 2014 से 2016 दर्ज हुई परन्तु कालान्तर में संवत 2022 से 2025 में खातेदारी भूलवश कमरूदीन के नाम से दर्ज हो गई। जबकि वास्तविक नाम अब्दुल करीम पुत्र इस्माईल है। जिसके नाम दर्ज होनी चाहिए थी।

वादीगण के पिता का दिनांक 18.05.2013 को स्वर्गवास हो चुका है। जिनका मृत्यू प्रमाण पत्र वाद के साथ पेश है। वादीगण उक्त भूमि में फौतगी नामान्तरकरण अपने नाम करवाने हेतु हल्का पटवारी से सम्पर्क किया तो वादीगण को गलत नाम कमरूदीन दर्ज होने की जानकारी हुई, इस कारण यह वाद बाबत नाम शुद्धिकरण कर वादीगण के नाम खातेदारी दर्ज करने हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।

प्रतिवादीगण सं0 02 ता 05 वादीगण की सगी बहने व माता है तथा वादीगण के पिता के स्वर्गवास के समय उन्होने मौखिक रूप से वादीगण के नाम हकतर्क करने व उक्त भूमि में से अपनी स्वेच्छा से कोई हक हिस्सा नहीं लेने से उन्होने अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा उक्त खेत में से अपने भाईयों के हक में तर्क कर दिया है जिसकी घोषणा हेतु यह वाद पेश है।

प्रार्थना वादीगण है कि खेत खसरा सं0 2864 रकबा 25 बीघा 10 बिस्वा वाके सरहद डीडवाना में जहां कमरूदीन पुत्र इस्माईल अंकित है वहां पर अब्दुल करीम पुत्र इस्माई नाम दर्ज किया जाकर वादीगण के नाम खातेदारी दर्ज की जावें तथा प्रतिवादी सं0 02 ता 05 द्वारा अपना हक वादीगण के हक में कर देने से उक्त खेत की खातेदारी वादीगण के नाम घोषित की जावें।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 05 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 के बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने का आदेश पारित किया गया।

वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 05 की और से राजीनामा पेश हुआ। राजीनामा की इबारत् पक्षकारान् को पढकर सुनाई व समझाई गयी, जिसे बिना किसी दबाव या लालच के सही होना स्वीकार किया गया। हस्ब बख्वाहिश राजीनामा तस्दीक किया गया। वादी की पहचान वकील श्री अल्ताफ हुसेन ने की है व प्रतिवादी की पहचान वकील

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

श्री मो0 अली शेरानी ने की है। राजीनामा के मुताबिक, पक्षकारान्, वादीगण के दावा के अनुसार घोषणा की जाती है तो कोई आपत्ति नहीं है।

वाद के समर्थन मे, वादीगण ने शपथ–पत्र, जमाबन्दी ग्राम डीडवाना सम्वत् 2066–2069, भू प्रबन्ध विभाग का खसरा पत्रक, जमाबन्दी संवत 2014–2016 की प्रमाणित प्रतिलिपि, पेश है।

विद्वान वकुलाय की सारगर्भित बहस सुनी गयी। विद्वान वकुलाय पक्षकारान् दावानुसार जरिये राजीनामा मुताबिक दावा डिक्री चाहते हैं। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन् किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया।

पक्षकारान् दावानुसार खातेदारी चाहते है। वाद का किसी पक्षकार द्वारा खण्डन नहीं किया गया है। पक्षकारान् राजीनामा के परिप्रेक्ष्य में दावा डिकी किया जाना हमारे मत मे उचित प्रतीत होता है।

अतः, बाद विवेचन, वाद वादी, राजीनामा के परिप्रेक्ष्य में डिक्री सादिर किया जाता है।

–:आदेश :–

हस्व राजीनामा दावा डिक्री सादिर कर, शरहद डीडवाना के खेत खसरा सं0 2864 रकबा 25 बीघा 10 बिस्वा में कमरूदीन पुत्र इस्माईल के स्थान पर अब्दुल करीम पुत्र इस्माई**ल**नाम दुरूस्त किया .जाता है तथा खसरा सं0 2864 रकबा 25 बीघा 10 बिस्वा की खातेदारी वादीगण के नाम घोषित की जाती है। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक कलेक्टर
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **25.01.2018** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक कलेक्टर
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 341/2017 दायर दिनाँक 07.12.2017

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. मोहम्मद हुसैन पुत्र स्व0 अब्दुल करीम 2. अब्दुल सलाम पुत्र स्व0 अब्दुल करीम 3. मो0 सलीम पुत्र स्व0 अब्दुल करीम 4. मो0 रफीक पुत्र स्व0 अब्दुल करीम 5. सबीर अहमद पुत्र अब्दुल करीम समस्त जाति देशवाली निवासीगण डीडवाना तहसील–डीडवाना जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान। 2. आसिया बानों पुत्री स्व0 अब्दुल करीम 3. जरीना बानों पुत्री स्व0 अब्दुल करीम 4. मुबीना बानों पुत्री स्व0 अब्दुल करीम 5. माशाअल्लाह बानों पुत्री स्व0 अब्दुल करीम समस्त जाति देशवाली निवासीगण डीडवाना तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी एवं रेकर्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा– 88 R.T.Act. & 136 L.R.Act.

दिनाँक 25.01.2018

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री अल्ताफ हुसेन, अधिवक्ता, वादी व श्री मोहम्मद अली शेरानी, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण सं0 02 ता 05 की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्व हस्व राजीनामा दावा डिक्री सादिर कर, शरहद डीडवाना के खेत खसरा सं0 2864 रकबा 25 बीघा 10 बिस्वा में कमरूदीन पुत्र इस्माईल के स्थान पर अब्दुल करीम पुत्र इस्माई नाम दुरूस्त किया जाता है तथा खसरा सं0 2864 रकबा 25 बीघा 10 बिस्वा की खातेदारी वादीगण के नाम घोषित की जाती है। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.....................–....... ....खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 25.01.2018 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	– –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिग्री के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner